न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 11/2021

दायर दिनांक :- 26.03.2021

उनवान

1. मंजू देवी पत्नि रामगोपाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम थौलाई तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सेडा जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम थौलाई तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम झेरा तहसील व जिला दौसा।
2. मंजू देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति खटीक (जमाबन्दी में दर्ज जाति हरियाणा ब्राहम्ण) निवासी ग्राम थौलाई तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
4. उपपंजीयक दौसा जिला दौसा।

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश राजोरिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री रामकरण वर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम झेरा पटवार हल्का चांदराना भू0अ0 नांगल-बैरसी तहसील दौसा जिला दौसा में खाता संख्या 77 नया एवम पुराना खाता संख्या 79 की आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 2.12 है0 स्थित है। प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है एवम अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल का उक्त आराजी में हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 मंजू देवी पत्नि ओमप्रकाश का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 उक्त वर्णित आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज सहखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजियात का अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि ग्राम झेरा तह0 व जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 83 रकबा 2.12 है0 के किसी भू-भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने से व प्रार्थिनी को बलपूर्वक निष्कासित करने से किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने व प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखल करने से तथा अप्रार्थी संख्या 4 को पाबन्द फरमावे कि वे उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत होने वाले रहन बय हस्तान्तरण प्रलेख का पंजीयन नही करें व अप्रार्थी संख्या 3 रिकार्ड व मौके यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री रामकरण शर्मा, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 24.09.2021 को एकतरफा [illegible] की गई। दिनांक 20.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। हम प्रकरण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिंदुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामला:-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त नही है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम झेरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नं. 83 रकबा 2.12 है0 भूमि में प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है एवम अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल का उक्त आराजी में हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 मंजू देवी पत्नि ओमप्रकाश का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 उक्त वर्णित आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज सहखातेदार काश्तकार है। हमारा विनम्र अभिमत है कि रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलन:-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्गत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थियां को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित हो चुका। तथा प्रार्थियां रिकार्डेड खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थियां के पक्ष में साबित होता हैं।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दौनो प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि [illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थिया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम झेरा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थिति आराजी भूमि के खाता संख्या 77 नया एवम पुराना खाता संख्या 79 की आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 2.12 है0 स्थित है। भूमि में प्रार्थिया के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थी नम्बर 1 स्वयं, अपने परिजनो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा ताफैसला वाद दखल न देवे तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested